शिलालेख और प्रस्तर अभिलेख

शिलालेख और प्रस्तर अभिलेख

सोहगौरा ताम्रलेख (Sohgaura Copper Plate)

- **स्थिति**- सोहगौरा, गोरखपुर (UP)
- **उल्लेख** - अकाल राहत प्रयास
- **भाषा** - प्राकृत*
- **विशेषताएँ - मौर्य वंश**
  - सबसे प्रारंभिक ज्ञात ताँबे की प्लेट
  - (दुर्लभ) पूर्व-अशोक ब्राह्मी शिलालेख

अशोक के अभिलेख

- **स्थिति** - पूर्वी भारत
- **उल्लेख** - धर्म के प्रति अशोक का दृष्टिकोण (बौद्ध दर्शन)
- **भाषा** - मगधी प्राकृत*
- **विशेषताएँ** - 33 शिलालेख (स्तंभ शिलालेख, प्रमुख प्रस्तर अभिलेख, लघु शिलालेख)
  - **बौद्ध धर्म का पहला मूर्त प्रमाण**
  - अशोक **देवनामपियदस्सी** के रूप में "भगवान के प्रिय सेवक"

रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख

- **स्थिति** - लुंबिनी, नेपाल
- **उल्लेख** - अशोक की लुंबिनी यात्रा और वहाँ दी गई कर छूट
- **लिपि** - ब्राह्मी
- **विशेषताएँ** - लघु स्तंभ शिलालेख

प्रयाग-प्रशस्ति (इलाहाबाद स्तंभ)

- **स्थिति** - इलाहाबाद किला (पहले कौशांबी)
- **उल्लेख** - अशोक स्तंभ लेकिन 4 अलग-अलग शिलालेखों के साथ
- **लिपि** - ब्राह्मी
- **4 शिलालेखों में शामिल हैं-**
  - सामान्य अशोकन शिलालेख
  - रानी कौर्वकि अभिलेख
  - हरिषेण द्वारा समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख
  - जहाँगीर के शिलालेख फारसी में

महरौली शिलालेख (महरौली लौह स्तंभ)

- **स्थिति** - कुतुबमीनार परिसर, दिल्ली
- **उल्लेख** - वाकाटक और वंग (Vanga) देशों की विजय का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है।
- **लिपि** - ब्राह्मी
- **विशेषताएँ - गुप्त वंश**
  - चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा **विष्णुपद** के रूप में स्थापित स्तंभ (भगवान विष्णु के सम्मान में)
  - जंग प्रतिरोधी धातु संरचना हेतु उल्लेखनीय।

कालसी शिलालेख

- **स्थिति** - कालसी नगर (उत्तराखंड)
- **उल्लेख** - प्रशासन, अहिंसा, आध्यात्मिकता में अशोक का मानवीय दृष्टिकोण
- **भाषा** - प्राकृत*
- **विशेषताएँ** - उत्तर भारत में एकमात्र स्थान, जहाँ अशोक के 14 शिलालेख मौजूद हैं।

मस्की शिलालेख

- **स्थिति** - मस्की (कर्नाटक में एक पुरातात्विक स्थल)
- **उल्लेख** - धर्मशासन (बौद्ध सिद्धांतों को बढ़ावा देता है)
- **भाषा** - प्राकृत*
- **विशेषताएँ** - पहला शिलालेख जिसमें पियदस्सी के स्थान पर अशोक का नाम है।

कलिंग अभिलेख

- **स्थिति** - कलिंग, ओडिशा
- **उल्लेख** - कलिंग युद्ध अशोक के लिये निर्णायक मोड़
- **भाषा** - मगधी प्राकृत, लिपि - ब्राह्मी
- **विशेषताएँ** - 14 शिलालेखों में से 11 का समूह
  - शांति का संकेत देने वाले 2 विशेष प्रस्तर अभिलेख
  - अशोक ने **दिग्विजय (Digvijaya) को** छोड़ दिया, अहिंसा और बौद्ध धर्म अपनाया

ऐहोल अभिलेख

- **स्थिति** - मेगुती मंदिर, कर्नाटक
- **उल्लेख** - पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्द्धन को पराजित किया
- **भाषा** - संस्कृत; लिपि - कन्नड़
- **विशेषताएँ** - चालुक्य विजय→पल्लव
  - **राजधानी: ऐहोल→बादामी**
  - रविकीर्ति (पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि) द्वारा लिखित

चालुक्यों की पहली राजधानी ऐहोल थी

हाथीगुंफा अभिलेख (हाथी गुफा शिलालेख)

- **स्थिति** - उदयगिरि-खंडगिरि गुफाएँ, ओडिशा
- **उल्लेख** - जैन धर्म के समर्थक राजा खारवेल का इतिहास
- **भाषा** - प्राकृत*
- **विशेषताएँ - महामेघवाहन वंश**

***नोट:** यहाँ * का तात्पर्य यह है कि जहाँ भाषा प्राकृत है, वहाँ लिपि ब्राह्मी है।*

और पढ़ें: मौर्य कला और स्थापत्य

हिरासत में होने वाली मौतों पर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता

प्रिलिम्स के लिये:

हिरासत में यातना, मानवाधिकार, हिरासत में मौत, अनुच्छेद 21, IPC, CrPC।

मेन्स के लिये:

हिरासत में यातना और हिरासत में मौत, पुलिस व्यवस्था में सुधार, प्रौद्योगिकी और पूछताछ, हिरासत में मौत से बचने के उपाय

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने **हिरासत में मौत के मामलों में आरोपित पुलिस अधिकारियों** की ज़मानत याचिकाओं पर विचार करते समय "अधिक कठोर दृष्टिकोण" अपनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है।

हिरासत में मौत क्या है?

- **परिचय:**
  - हिरासत में मृत्यु ऐसी **मृत्यु को संदर्भित करती** है, जो उस समय होती है **जब कोई व्यक्ति विधि प्रवर्तन अधिकारियों की अभिरक्षा** में होता है। यह **विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे कि अत्यधिक बलप्रयोग, उपेक्षा या अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार**।
  - **भारत के विधि आयोग** के अनुसार, गिरफ्तार किये गए या हिरासत में रखे गए व्यक्ति के विरुद्ध एक लोक सेवक द्वारा किया गया अपराध **हिरासत में यातना** के समान है।
- **हिरासत में मौत के प्रकार:**
  - **पुलिस हिरासत में मृत्यु:** पुलिस हिरासत में मृत्यु अत्यधिक बल, यातना, चिकित्सा देखभाल से इनकार, या अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार या आकस्मिक कारण से हो सकती है।
  - **न्यायिक हिरासत में मृत्यु:** न्यायिक हिरासत में मृत्यु भीड़भाड़, चिकित्सा सुविधाओं की कमी, कैदी की हिंसा या आत्महत्या के कारण हो सकती है।
  - **सेना या अर्द्धसैनिक बलों की हिरासत में मृत्यु:** यह यातना या न्यायेत्तर हत्याओं के माध्यम से हो सकती है।

पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत:

पहलू	पुलिस हिरासत	न्यायिक हिरासत
हिरासत का स्थान	किसी पुलिस स्टेशन के हवालात या किसी जाँच एजेंसी के पास	मजिस्ट्रेट की हिरासत में जेल
न्यायालय के समक्ष उपस्थिति	24 घंटे के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष	जब तक न्यायालय से ज़मानत का आदेश नहीं आ जाता
प्रारंभ	शिकायत मिलने या FIR दर्ज करने के बाद किसी पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के समय	सरकारी वकील द्वारा न्यायालय को संतुष्ट करने के बाद जाँच के लिये आरोपी की हिरासत आवश्यक है।
अधिकतम अवधि	24 घंटे (उपयुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा 15 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है)	आजीवन कारावास, मृत्यु या कम से कम दस वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिये 90 दिन; अन्य अपराधों के लिये 60 दिन

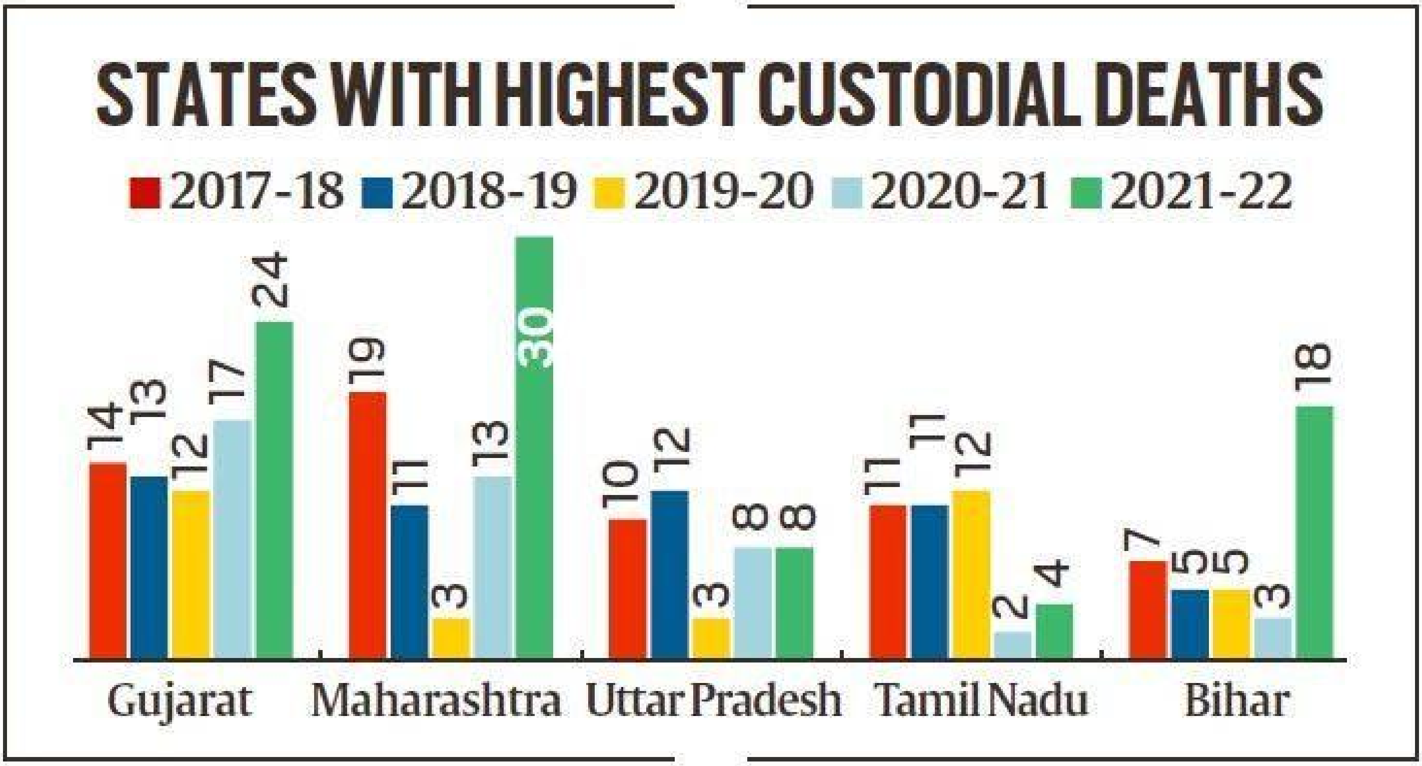

हिरासत में होने वाली मौतों पर रोक लगाना क्यों आवश्यक है?

- यह विधि द्वारा उचित व्यवहार किये जाने के व्यक्तियों के मूल अधिकार के विरुद्ध है।
- भारत **संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर (UNCAT)** का एक हस्ताक्षरकर्त्ता है, जो न्यायिक और पुलिस हिरासत में लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार पर नियंत्रण लगाता है।
- **हिरासत में यातना को रोकने के लिये सख्त नियमों** के अभाव में, भारत को विजय माल्या जैसे **लंबित न्यायिक कार्यवाही से बचने** हेतु दूसरे देशों में शरण लेने वाले व्यक्तियों के प्रत्यर्पण में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है।
    - **आर्थिक अपराधी प्रायः अपने प्रत्यर्पण मामलों में भारत में हिरासत में यातना** पर नियमों में लचीलेपन का हवाला देते हैं।
- हिरासत में यातना, हिरासत में लिये गए व्यक्ति के **मानसिक स्वास्थ्य को हानि** पहुँचा सकती है क्योंकि पुलिस उनकी भावनाओं की परवाह नहीं करती है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें **क्रूर व्यवहार, यौन शोषण** जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है साथ ही समाज उनसे घृणा करने लगता है। **उदाहरण: वर्ष 1972 में मथुरा में हिरासत में बलात्कार का मामला।**

हिरासत में मौत से संबंधित संवैधानिक और विधिक ढाँचा क्या है?

- **संवैधानिक प्रावधान:**
    - [भारत के संविधान का अनुच्छेद 21](#) **जीवन** और **व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों** को सुनिश्चित करता है, जिसमें यातना व अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार या **सज़ा से मुक्त होने का अधिकार** शामिल है।
    - **अनुच्छेद 20** किसी आरोपी व्यक्ति को मनमानी और अत्यधिक सज़ा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कंपनी या निगम के समान विधिक इकाई हो। इसके अंतर्गत तीन प्रावधान शामिल हैं:
        - जिनमें अपराधों के लिये दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण:- (अनुच्छेद 20(1), दोहरे दंड से सुरक्षा:- अनुच्छेद 20(2) और आत्म-अपराध के विरुद्ध सुरक्षा:- अनुच्छेद 20(3) से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
        - इसके अतिरिक्त, **सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामले** में न्यायालय ने कहा कि **राज्य किसी भी व्यक्ति की सहमति** के बिना उसका [नार्को-विश्लेषण, पॉलीग्राफ और ब्रेन-मैपिंग](#) **परीक्षण नहीं कर सकता है।**
- **विधिक सुरक्षा:**
    - **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 24** में यह प्रावधान है, कि जाँच एजेंसियों की **धमकी के आगे झुककर आरोपी द्वारा** की गई सभी स्वीकारोक्ति **न्यायालय में स्वीकार्य नहीं होगी।**
        - यह धारा मुख्य रूप से आरोपी को उसकी इच्छा के विरुद्ध बल प्रयोग के कारण बयान देने से रोकने का कार्य करती है।
    - [भारतीय दंड संहिता (IPC)](#) **की धारा 330 और 331,** किसी भी व्यक्ति से अपराध स्वीकारोक्ति या सूचना प्राप्त करने के लिये स्वेच्छा से चोट या गंभीर चोट पहुँचाना अपराध मानती है।
    - सुरक्षा उपायों को शामिल करने के लिये वर्ष 2009 में [दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC)](#) की धारा 41 में संशोधन किया गया था, जिसमें:
        - पूछताछ के लिये गिरफ्तारियों और हिरासत में लेने के लिये उचित आधार एवं दस्तावेज़ी प्रक्रियाओं को निर्धारित किया गया।
        - गिरफ्तारियों को **परिवार, दोस्तों और जनता के लिये पारदर्शी** बनाया जाता है तथा विधिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जाती है।

हिरासत में यातना के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय क्या हैं?

- **अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि, 1948:**
  - अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि में एक प्रावधान है जो **लोगों को यातना और अन्य बलपूर्वक कार्यवाहियों से संरक्षित करता है।**
- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर, 1945:**
  - यह **कैदियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने की अपेक्षा करता है** । चार्टर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कैदी होने के बावजूद, उनकी मौलिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार **मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, नागरिक व राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध** में निर्धारित हैं।
  - अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि में एक प्रावधान है, जो **लोगों को यातना और अन्य बलपूर्वक कार्यवाहियों से संरक्षित करता है।**
- **नेल्सन मंडेला नियम, 2015:**
  - नेल्सन मंडेला नियमों को **संयुक्त राष्ट्र महासभा** द्वारा वर्ष **2015 में कैदियों के साथ अंतर्निहित गरिमा के साथ व्यवहार करने** एवं यातना तथा अन्य दुर्व्यवहार पर रोक लगाने के लिये अपनाया गया था।
- **यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCAT):**
  - यह संयुक्त राष्ट्र की एक **अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि** है जिसका उद्देश्य विश्वभर में **यातना और क्रूर, अमानवीय, या अपमानजनक कृत्य या सज़ा के अन्य कृत्यों को रोकना है।**

हिरासत में यातना से निपटने के लिये उपाय:

- **कानूनी प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना:**
  - **सर्वोच्च न्यायालय** के **प्रकाश सिंह मामला, 2006** के आदेशों के समान व्यापक कानून स्थापित करना, जो विशेष रूप से **हिरासत में यातना को अवैध** बनाता है।
    - **सर्वोच्च न्यायालय** ने पुलिस व्यवस्था में बेहतर सुधार हेतु जाँच और कानून व्यवस्था के कार्यों को पृथक करने, **राज्य सुरक्षा आयोग (SSC)** की स्थापना करने का निर्देश दिया, जिसमें सिविल सोसाइटी के सदस्य होंगे तथा एक **राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग** का गठन किया जाएगा।
  - हिरासत में यातना के **आरोपों की त्वरित और निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित** करना।
  - निष्पक्ष और शीघ्र सुनवाई के माध्यम से अपराधियों को जवाबदेह बनाना।
- **पुलिस सुधार और संवेदनशीलता:**
  - मानवाधिकारों और गरिमा के **सम्मान पर ज़ोर देने हेतु पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रमों** को बढ़ाना।
  - कानून प्रवर्तन एजेंसियों के भीतर जवाबदेही, व्यावसायिकता और सहानुभूति की संस्कृति को बढ़ावा देना।
  - हिरासत में यातना के मामलों की प्रभावी ढंग से निगरानी और समाधान करने के लिये **निरीक्षण व्यवस्था (oversight mechanism)** की स्थापना करना।
- **नागरिक समाज और मानवाधिकार संगठनों को सशक्त बनाना:**
  - हिरासत में यातना के पीड़ितों की सक्रिय रूप से समर्थन करने के लिये **नागरिक समाज संगठनों को प्रोत्साहित करना।**
  - **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)** को कथित मानवाधिकार उल्लंघन की **तारीख से एक वर्ष** के बाद भी किसी मामले की जाँच करने की **अनुमति दी जानी चाहिये।**
    - सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में उचित उपायों के साथ इसके अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिये।
  - **पीड़ितों** व उनके परिवारों को सहायता और **कानूनी सहायता** प्रदान करना।
  - निवारण और न्याय पाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों एवं संगठनों के साथ सहयोग करना।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

?????:

प्रश्न.1 मृत्यु दंडादेशों के लघुकरण में राष्ट्रपति के विलंब के उदाहरण न्याय प्राख्यान (डिनायल) के रूप में लोक वाद-विवाद के अधीन आए हैं। क्या राष्ट्रपति द्वारा ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने/अस्वीकार करने के लिये एक समय-सीमा का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये? विश्लेषण कीजिये। (2014)

प्रश्न.2 भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) सर्वाधिक प्रभावी तभी हो सकता है, जब इसके कार्यों को

सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाले अन्य यांत्रिकत्वों (मकैनिज़्म) का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। उपरोक्त टिप्पणी के प्रकाश में, मानव अधिकार मानकों की प्रोन्नति करने और उनकी रक्षा करने में, न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं के प्रभावी पूरक के तौर पर, एन.एच.आर.सी. की भूमिका का आकलन कीजिये। (2014)

भारत में मेडिकिल शिक्षा की स्थिति

प्रलिम्स के लिये:

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, पैरामेडिक्स, रूस-यूक्रेन संघर्ष।

मेन्स के लिये:

भारत में मेडिकिल शिक्षा संबंधी चुनौतियाँ, भारत में मेडिकिल शिक्षा में प्रस्तावित सुधार

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

यूक्रेन-रूस युद्ध ने यूक्रेन में भारतीय मेडिकिल छात्रों के लिये कठिन समय उत्पन्न कर दिया है। फरवरी, 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष के युद्ध में परिवर्तित होने के बाद यूक्रेन में पढ़ रहे लगभग 18000 भारतीय मेडिकिल छात्रों को घर लौटने के लिये मजबूर होना पड़ा।

- हालाँकि एक अपवाद के रूप में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने इनमें से 4,000 छात्रों को, जो अपने अंतिम सेमेस्टर में थे, घर पर अपनी इंटर्नशिप पूरी करने की अनुमति दी।
- एक रिपोर्ट के अनुसार, **इनमें से लगभग 70% वापस लौटे MBBS छात्र** अब सर्बिया, किर्गिज़िस्तान, उज़्बेकिस्तान और जॉर्जिया के विश्वविद्यालयों से पढ़ाई कर रहे हैं।
- ये कॉलेज मेडिकिल शिक्षा प्राप्त करने के लिये भारत से छात्रों के नए बैचों को भी आकर्षित कर रहे हैं।

भारत में मेडिकिल शिक्षा से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- **सीटों की सीमित संख्या:** मेडिकिल कॉलेज की सीटें अभी भी उम्मीदवारों की संख्या से काफी कम हैं। **मेडिकिल कॉलेज की सीटों का उम्मीदवारों से अनुपात लगभग 20:1 है।**
- **उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि:** नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग द्वारा किये गए अध्ययन के अनुसार, विगत **10 वर्षों में परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या लगभग 3 गुना बढ़ गई है,** जबकि इनमें से केवल 0.25% ही शीर्ष कॉलेजों में पहुँच पाते हैं।
- **मेडिकिल कॉलेजों का असमान वितरण:** भारत में मेडिकिल कॉलेज शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं **जो ग्रामीण क्षेत्रों में एक शून्यक (vacuum) उत्पन्न करता है।**
- **निजी मेडिकिल कॉलेजों का अधिक शुल्क:** सरकारी संस्थान शुल्क और शिक्षा गुणवत्ता के मामले में अधिक किफायती हैं।
- **पुराना पाठ्यक्रम:** भारत में कई मेडिकिल कॉलेजों का पाठ्यक्रम पुराना है और वर्तमान चिकित्सा पद्धतियों के अनुरूप नहीं है। इससे मेडिकिल कॉलेजों में छात्र सीखे गए कौशल और नैदानिक अभ्यास में आवश्यक कौशल के बीच अंतर उत्पन्न होता है।
- **बुनियादी ढाँचे की कमी:** भारत में कई मेडिकिल कॉलेजों में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने हेतु आवश्यक बुनियादी ढाँचे की कमी है। इसमें आधुनिक प्रयोगशालाएँ उन्नत चिकित्सा उपकरण और प्रौद्योगिकी तक पहुँच शामिल है।
- **व्यावहारिक प्रशिक्षण पर अपर्याप्त ज़ोर:** भारत में चिकित्सा शिक्षा प्रायः सिद्धांत-आधारित है, जिसमें व्यावहारिक प्रशिक्षण पर अपर्याप्त ज़ोर दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप डॉक्टर पर्याप्त व्यावहारिक अनुभव के बिना स्नातक हो सकते हैं।
- **खराब चिकित्सा अनुसंधान:** अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत में चिकित्सा अनुसंधान पर कम ज़ोर दिया जाता है। भारत में अधिकतर डॉक्टर अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद नौकरी करना पसंद करते हैं, इसलिये शोध की उपेक्षा की जाती है।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC):

- NMC का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जिसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के रूप में जाना जाता है।
- NMC भारत में चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास के शीर्ष नियामक के रूप में कार्य करता है।
- स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा में उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिये प्रतिबद्ध, NMC संपूर्ण देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण का वितरण सुनिश्चित करता है।

भारत में मेडिकिल शिक्षा में सुधार हेतु क्या पहलें की गई हैं?

- **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग:** अकुशल और अपारदर्शी मेडिकिल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) में पूरी तरह से बदलाव करते हुए, **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग** की स्थापना की गई है। पेशेवर ईमानदारी, अनुभव और उत्कृष्टता के उच्चतम मानकों वाले इस आयोग की प्राथमिकता मेडिकिल शिक्षा में

सुधार करना है।
    - इन सुधारों को आगे बढ़ाने के लिये सक्षम व्यक्तियों का सावधानीपूर्वक चयन किया गया है।
- **सीटों की संख्या बढ़ाना:** निजी-सार्वजनिक भागीदारी प्रारूप का प्रयोग करके सरकार ने ज़िला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों में परिवर्तित करके सीटों की संख्या बढ़ाई है।
- **शुल्कों/फीस का विनियमन: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम** में निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50% सीटों पर फीस व अन्य सभी शुल्कों को विनियमित करने का प्रावधान है। NMC इस संबंध में दिशानिर्देश तैयार कर रही है।
- **एक देश एक परीक्षा:** 'एक देश, एक परीक्षा, एक योग्यता' प्रणाली तथा एक सामान्य परामर्श प्रणाली सुनिश्चित करते हुए वर्ष 2016 में MBBS नामांकन के लिये **राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा** (NEET) शुरू की गई थी।
- **न्यूनतम मानक अनिवार्यता:** यह मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिये न्यूनतम मानक अनिवार्यता (MSR) पर संपूर्ण नियमों को सुव्यवस्थित करने से संबंधित है।
- **नियमित गुणवत्ता मूल्यांकन:** मेडिकल कॉलेजों की गुणवत्ता का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है, और इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होनी चाहिये। गुणवत्ता नियंत्रण उपाय के रूप में NMC सभी मेडिकल स्नातक के लिये एक सामान्य निकास परीक्षा का आयोजित करता है।

भारत में मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिये क्या सिफारिशें की गई हैं?

- **नीति आयोग** ने देश के दूरदराज़ के क्षेत्रों में **निजी कॉलेजों को ज़िला अस्पतालों से संबद्ध करने** का प्रस्ताव रखा है।
- **पैरामेडिक्स और नर्सों के कौशल को बेहतर बनाने** से चिकित्सा क्षेत्र की गैर-विशेषज्ञ मांगों को पूरा करने में सहायता मिलेगी व**डॉक्टरों की कमी की समस्या का समाधान किया जा** सकेगा।
- उचित प्रोत्साहन के साथ निजी क्षेत्र को मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करने के साथ-साथ मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिये सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- चिकित्सा शिक्षा केंद्रों के विस्तार के लिये **मौजूदा बुनियादी ढाँचे का इष्टतम उपयोग।**
- विशेषज्ञों के लिये सीटों की व्यवस्था के लिये व्यापक **भारत-विशिष्ट दृष्टिकोण** अपनाना।
- मेडिकल कॉलेजों में **'घोस्ट फैकल्टी'** (ऐसे शिक्षक जो अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध हैं लेकिन उन्हें वेतन दिया जाता है) की व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाने के लिये भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना आवश्यक है।
- समस्याओं की शीघ्र पहचान करके उनका समाधान करने के लिये **कॉलेजों का नियमित निष्पादन एवं** मूल्यांकन।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में चिकित्सा शिक्षा से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं और हालिया रूस-यूक्रेन संकट का इस पर क्या प्रभाव पड़ा है?

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन-से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? (2012)

1. राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
2. ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय
3. पंचम अनुसूची
4. षष्ठ अनुसूची
5. सप्तम अनुसूची

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3, 4 और 5
(c) केवल 1, 2 और 5
(d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (d)

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/17-04-2024/print